



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 02 जून, 2025

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना कोतवाली देहात

लूट की घटना में वांछित बदमाश के साथ थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, लूट का मोबाइल व बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 01/02.06.2025 की रात्रि को थाना कोतवाली देहात पुलिस व स्वाट टीम हजरतपुर बम्बे के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी तभी जहांगीराबाद की तरफ से एक बाइक पर सवार संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको रुकने का इशारा किया गया, नही रुका बल्की बाइक को तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। जिसपर बदमाश की बाइक बम्बे से कुछ दूरी पर अनियन्त्रित होकर फिसल गयी। बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान इमरान पुत्र हय्यूल निवासी डीएल 53 डबल पानी की टंकी एडिए कॉलोनी शहाजमालकोल थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़ के रूप में हुई है। जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, लूट का मोबाइल व बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का लुटेरा अपराधी है। अभियुक्त इमरान उपरोक्त द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल लूट की घटना करित की गयी थी, जिसके सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मुअसं-114/25 धारा 304(2) बीएनएस व मुअसं-122/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस एवं थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मुअसं-121/25 धारा 304(2) बीएनएस में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 15,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. इमरान पुत्र हय्यूल निवासी डीएल 53 डबल पानी की टंकी एडिए कॉलोनी शहाजमालकोल थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़।

बरामदगी-

- 1- 01 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (बिना नम्बर)
- 2- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 खोखा कारतूस।
- 3- 01 लूट का मोबाइल(ओप्पो)।

अभियुक्त इमरान का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-523/22 धारा 379 भादवि थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।
- 2- मुअसं-458/22 धारा 342/394/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं-497/22 धारा 342 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं-501/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं-207/22 धारा 379/411 भादवि थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर।
- 6- मुअसं-311/21 धारा 392/411 भादवि थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।
- 7- मुअसं-312/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।
- 8- मुअसं-313/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।
- 9- मुअसं-316/21 धारा 414/411 भादवि थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।
- 10- मुअसं-443/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।
- 11- मुअसं-114/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 12- मुअसं-122/25 धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 13- मुअसं-648/22 धारा 379/411 भादवि थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।
- 14- मुअसं-145/21 धारा 392/411 भादवि थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।
- 15- मुअसं-220/21 धारा 392/411 भादवि थाना सासनी गेट जनपद अलीगढ़।
- 16- मुअसं-121/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री नीरज मलिक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात।
- 2- उ०नि० शिवम तोमर, उ०नि० हरेन्द्र कुमार, उ०नि० आलोक कुमार व उ०नि० मनीष यादव।
- 3- का० साबिर खान, का० ब्रह्मदेव शर्मा, का० अश्विनी।

स्वाट टीम-

- 1- उ०नि० श्री राहुल चौधरी, प्रभारी स्वाट टीम।
- 2- है०का० कपिल नैन, है०का० प्रदीप कुमार, है०का० निकुंज यादव, है०का० राहुल त्यागी, है०का० मनीष त्यागी, है०का० मौ० आरिफ, का० सचिन चौहान, का० रोहित कुमार, का० नरेन्द्र कुमार, का० श्याम सुंदरा।



मीडिया सेल बुलंदशहर